पत्र संख्या-सचलदल -धारा-45, 48 क्षेत्राधिकार- 14-15/ 2116/141516 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचल दल अनुभाग) 07.01.15

लखनऊ :: दिनांक:: ~~दिसम्बर~~, ~~2014~~

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर

वणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये है कि वर्तमान में कर निर्धारण अधिकारियों के पास लम्बित वादों की संख्या अधिक है। मुख्यालय के कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1314056 दिनांक 04-10-2013 द्वारा खण्ड में तैनात असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्यकर अधिकारियों को धारा-45 तथा 48 का क्षेत्राधिकार प्रदान करते हुए उन्हें प्रवर्तन कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इन परिस्थितियों में यदि इनसे नियमित रुप से रोड चेकिंग का कार्य कराया जाता है, तो इससे कर निर्धारण कार्य एवं उसकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अग्रिम आदेशों तक खण्ड कार्यालय में तैनात कर निर्धारण अधिकारियों से मुख्यालय द्वारा चलाये गये विशेष प्रवर्तन / जांच अभियान में इनसे प्रवर्तन कार्य लिया जाय। उक्त के अतिरिक्त सामान्य रुप से कर निर्धारण अधिकारियों से अग्रिम आदेशों तक रोड चेकिंग का कार्य न कराया जाय।

उपर्युक्त निर्देशों से अपने स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।